सुभाषचंद्र बोस के मूल्यों को कुचल तो नहीं रहे प्रपौत्र सोमनाथ बोस

फरीदाबाद, मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से भारत को मुक्त कराने को आतुर रहे सुभाषचंद्र बोस के प्रपौत्र सोमनाथ बोस को नमो सेना इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इस सेना का काम कहने को तो जनता के बीच सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है लेकिन सोमनाथ के मुताबिक भारत को विश्व गुरु बनाना, यानी संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाना है।

सोमनाथ बोस रविवार को कार्यकर्ताओं से मिलने गोल्फ क्लब आए थे। सवाल यह है कि सोमनाथ बोस को सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि सरकार के पास इसके लिए प्रशासनिक अमला, सूचना एवं जनसंपर्क जैसे भारी भरकम विभागों के अलावा ढिंढोरा पीटने वाली मीडिया भी है। दरअसल भाजपा सरकार उनका नाम इस्तेमाल कर अपने आपको देशभक्त साबित करना चाहती है। सच्चाई यह है कि देश को स्वतंत्र कराने में संघ या भाजपा का कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि माफी वीर सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उनके नेताओं पर स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत का साथ देने का आरोप लगता है। ऐसे में संघ और भाजपा अपने स्वतंत्रता संग्राम विरोधी दाग धोने के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को इस्तेमाल कर रही है जिनकी विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिलती थी।

शहीद राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी की भतीजी गीता लाहिड़ी के बाद सुभाषचंद्र बोस के प्रपौत्र सोमनाथ बोस भाजपा और संघ की इसी रणनीति का मोहरा बने हैं। अफसोस है कि आर्थिक साम्राज्यवाद के विरोधी, देश की स्वतंत्रता और एकता के लिए लड़ने वाले सुभाषचंद्र बोस के वंशज सोमनाथ बोस अपने बाबा की विचारधारा के विपरीत फासीवादी, भ्रष्ट पूंजीवादी और लोकतंत्र के मूल्यों पर चोट करने वालों का मोहरा बनकर उनका बिगुल फूक रहे हैं।

उन्हें याद रखना चाहिए कि संघ और भाजपा का चरित्र अपने हित में इस्तेमाल करने के बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेक देने वाला है। चाहे वह लाल कृष्ण आडवाणी हों, यशवंत सिन्हा, शत्रुधन सिन्हा या राजनीतिक साझीदार मायावती, शिव सेना के उद्धव ठाकरे, बिहार के नितीश कुमार सबको अंत में धोखा ही मिला है। महान स्वतंत्रता सेनानी के प्रपौत्र नमो सेना इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुखौटा पहन कर तुच्छ कामयाबी पर भले ही खुश हों लेकिन संघ-भाजपा उनसे जाने अनजाने उन मूल्यों की हत्या न करवा दे जिनके लिए सुभाष चंद्र बोस ने निर्वासन झेला, आजाद हिंद सरकार की घोषणा की और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और महिलाएं सभी को समान महत्व दिया गया।

बर्बाद हो रहे सीएसआर में मिले नगर निगम के 25 ट्रैक्टर, एक साल बीता, न कराया रजिस्ट्रेशन, न ही बीमा

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) नगर निगम के लापरवाह अफसर मुफ्त में मिले करीब अस्सी लाख रुपये के ट्रैक्टरों को बर्बाद करने में जुटे हैं। एक साल बीतने के बावजूद निगम अधिकारियों ने न तो आरटीओ में इनका रजिस्ट्रेशन कराया और न ही बीमा। चंद हजार रुपये खर्च नहीं किए जाने के कारण यह नए ट्रैक्टर काम में नहीं लगाए जा सके हैं।

इंडियन ऑयल कंपनी ने मार्च-अप्रैल 2022 में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत नगर निगम को 25 ट्रैक्टर दान दिए थे। 82 लाख रुपये से अधिक कीमत के इन ट्रैक्टरों का निगम अधिकारियों ने न तो रजिस्ट्रेशन कराया और ही बीमा। निगम के इस्तेमाल के लिए दिए गए इन ट्रैक्टरों को भ्रष्ट अधिकारियों ने निजी कंपनी इकोग्रीन के हवाले कर दिया था। कंपनी ने भी सात माह तक इन ट्रैक्टरों का बिना रजिस्ट्रेशन, बीमा और सर्विस कराए जमकर इस्तेमाल किया था। भ्रष्टाचार उजागर होने पर नवंबर 2022 में आनन फानन इको ग्रीन से ट्रैक्टर वापस लिए गए। निगम सूत्रों के मुताबिक आला अधिकारियों के बार बार संज्ञान में लाने के बावजूद इनका आरटीओ में पंजीकरण नहीं कराया गया। अब पंजीकरण कराने पर एक साल की लेट फीस भी भरनी होगी। बीमा कंपनियां एक साल पुराने वाहन में 20 फीसदी टूट-फूट का अनुमान लगाकर उनकी कीमत कम करके 20 फीसदी कम करके आंकती हैं। इन नए ट्रैक्टरों की कीमत तो घटी ही, समय पर बीमा नहीं कराने की पेनाल्टी भी लगेगी। डीजल वाहन होने के कारण एनसीआर में इन ट्रैक्टरों का जीवन दस साल है जिसमें से एक वर्ष तो बेकार हो गया। यही नहीं पिछले पांच माह से यार्ड में बिना सर्विस खड़े हुए इन नए ट्रैक्टरों की बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुकी है, नहीं चलने के कारण कई पुर्जे भी जाम हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि देर से पंजीकरण और बीमा करवाने के कारण निगम को जो अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी होगी उसके लिए किस अधिकारी को जिम्मेदार मान कर वसूली की जाएगी?

ट्रैक्टरों के कागजात हुए गुम

दान में मिले इन 25 ट्रैक्टरों के कागजात भी नगर निगम से गायब हो गए। सूत्रों के मुताबिक एस्कॉर्ट कंपनी ने दान किए गए ट्रैक्टरों के साथ ही इनके कागजात भी नगर निगम के सेंट्रल स्टोर को सौंप दिए थे। वहां से यह कागज रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। निगमायुक्त को एक साल बाद जब ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन का होश आया तो इन कागजों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में इंडियन ऑयल से संपर्क किया गया तो वहां से जवाब मिला कि ट्रैक्टर रोहतक से खरीदे गए थे, डीलर ही कागज देगा। डीलर ने नगर निगम को जवाब दिया है कि अप्रैल से पहले ट्रैक्टरों की खरीद के कागजात उपलब्ध नहीं करा पाएगा। नगर निगम में दस्तावेजों का रिकॉर्ड कितना सुरक्षित है इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाखों रुपये की मशीनों के लेनदेन के दस्तावेज भी गुम हो जाते हैं और कोई जिम्मेदार नहीं होता।

ध्वनि प्रदूषण, लड़कियों से छेड़छाड़ व अवैध पार्किंग से परेशान है पब्लिक

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जनता की समस्याएं सुनने के लिये एनआईटी जोन के डीसीपी नरेन्द्र कादियान जनता से मिलने के लिये सड़कों पर घूमते नज़र आये तो सेंट्रल जोन के डीसीपी मुकेश मलहोत्रा ने पब्लिक को ही अपने दफ्तर बुला लिया। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार पब्लिक ने कानून और व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति के बारे में कोई शिकायत न देकर पूरी तरह से मुकेश मलहोत्रा को संतुष्ट कर दिया। इन लोगों ने केवल ध्वनि प्रदूषण यानी रात देर तक डीजे बजाने, स्कूल-कॉलेजों के बाहर लड़कियों से छेड़खानी व चलने के लिये बनी सड़कों पर पार्किंग से होने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया। मलहोत्रा जी ने तुरन्त सम्बन्धित थाना अध्यक्षों को उचित निर्देश देकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली।

विदित है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कानून हमेशा से ही सख्त रहा है। कानून के मुताबिक उच्च ध्वनि का इस्तेमाल करने की इजाजत लेने के लिये एसडीएम को आवेदन देना पड़ता है। कोई भी आवेदन आने पर एसडीएम उसे सम्बन्धित थानेदार के पास भेजता है। वहां से अनापत्ति मिलने पर उच्च ध्वनि के इस्तेमाल की स्वीकृति दी जाती है वह भी चंद घंटों के लिये और एक निश्चित ऊंची आवाज तक। नियमानुसार आवेदनपत्र पर 10 रुपये की टिकट भी लगाई जाती थी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस तुरंत पकड़ लिया करती थी और उपकरण को जब्त कर लिया जाता था।

परन्तु आज न तो एसडीएम को कोई शोर सुनाई देता है और पुलिस को तो सुनना ही क्या है, उन्हें तो और ही काम बहुत है। इतना ही नहीं यदि कोई नागरिक अपने घर के पास होने वाले शोर की शिकायत पुलिस को करता है तो पुलिस शोर करने वाले को पकड़ने की अपेक्षा शिकायत करने वाले का नाम व पता बता आती है। जाहिर है शोर करने वाला शिकायतकर्ता पर जा चढ़ता है। इस तरह पैदा हो सकने वाली दुश्मनी से बचने के लिये कोई शिकायत करना पसंद नहीं करता। पुलिस से पूछो तो कह देंगे कि उन्हें तो कोई शिकायत ही नहीं मिली, शोर उन्हें सुनाई नहीं देता।

स्कूल, कॉलेज व राह चलती लड़कियों को लफंटरों द्वारा छेड़ने, फब्तियां कसने आदि के मामले लगातार हो रहे हैं। इतना ही नहीं अब तो ऐसे किस्से भी सामने आने लगे हैं जब शोहदे लड़कियों को शादी के लिये जबरन उनके घर में घुस कर प्रस्ताव देने लगे हैं। इनकार करने पर लड़की पर तेजाब डालने व हत्या तक करने के मामले भी पूर्व में आये हैं। इसके पीछे मूल कारण पुलिस की वह ढिलाई है जिसके चलते शोहदों को कानून का कोई खौफ़ नहीं रह गया है। पुलिस के अपेक्षित दुर्व्यवहार से डरते हुए अधिकांश मामलों में लड़की पक्ष पुलिस में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता।

ध्वनि प्रदूषण की खुली छूट

दरअसल अधिकांश मामले शुरू में इतने छोटे-छोटे होते हैं उनको लेकर पुलिस में जाना बनता भी नहीं है। इन मामलों की संख्या इतनी अधिक होती है कि एक-एक के पीछे पुलिस भाग भी नहीं सकती। हां, यदि पुलिस की नीयत सही हो तो किसी मनचले की हिम्मत हो नहीं सकती कि वह किसी आती-जाती लड़की को छेड़ सके। इसके लिये सम्भावित स्थलों पर पुलिस जिप्सियां खड़ी करने के बजाय सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा सकता है। इसके द्वारा शोहदों को आसानी से पकड़ कर सबक सिखाया जा सकता है।

चलने के लिये बनी शहर भर की चौड़ी-चौड़ी सड़कें, अवैध पार्किंग के चलते इतनी संकरी हो गई है कि हर जगह जाम ही जाम नजर आता है। अवैध पार्किंग के अलावा दुकानदारों द्वारा भी अपने सामान को सड़क पर फैलाने से भी जाम की स्थिति बनती है। छोटे वाहनों के अलावा बड़े ट्रक एवं ट्राले भी सड़क घेर कर खड़ा होना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, भले ही इस अधिकार के लिये उन्हें पुलिस को शुकराना देना पड़ता हो। सड़कों पर इस तरह की अवैध पार्किंग को हटाने के लिये ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारी लगातार मीटिंगों का सिलसिला चलाये रहते हैं। रणनीतियां बनती रहती हैं। कभी क्रेन खरीदने की बात करते हैं तो कभी सड़कों पर रंग-बिरंगी पट्टियां खींचते रहते हैं। कारगुजारी के नाम पर किये गये चालानों की संख्या व वसूले गये जुर्माने की मात्रा बताते रहते हैं।